

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अतोसे-11/ 1192

दिनांक : 8-1-2024

आदेश संख्या 83/2022-24

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	मेरिट नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	2435	506/90	मनोहर सिंह	20-05-1964	31-05-2024	
2.	8582	204/92	गिरीश कुमार शर्मा	25-08-1964	31-08-2024	
3.	2451	223/88	गुलाब चन्द जाट	07-08-1964	31-08-2024	
4.	5412	486/94	सुबे सिंह	12-08-1964	31-08-2024	
5.	8907	82/94R	अशोक कुमार गुप्ता	01-01-1965	31-12-2024	16.सीसीए के तहत जॉच कार्यवाही लंबित है।
6.	3001	574/94	महेश चन्द्र माहौर	01-01-1965	31-12-2024	
7.	8891	65/94R	प्रेम प्रकाश जोशी	10-01-1965	31-01-2025	
8.	5818	705/88	सुधीर कुमार	04-01-1965	31-01-2025	
9.	2541	455/90	नागर मल शर्मा	10-02-1965	28-02-2025	भ्र0नि0यूरो से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
10.	5614	367/86	नरेश कुमार शर्मा	01-03-1965	28-02-2025	
11.	4907	740/88	राजेन्द्र पारीक	08-03-1965	31-03-2025	
12.	5122	144/94	सुनील कुमार बोहरा	01-04-1965	31-03-2025	

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकप.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्र.सं. 05 एवं 09 को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लंबित नहीं है।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।


(श्रीपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 8-1-2024

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्ति) अलेसे-11/ 1192

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवाये जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय
8. अलेसे-1/111/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(क.जी.मुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)